यूजेवीएन लिमिटेड
(पूर्ववर्ती उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0)
(उत्तराखण्ड सरकार का उद्यम)
देहरादून।

सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (ईएण्डएम)/(सिविल) एवं अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (ईएण्डएम)/(सिविल) के पदों हेतु आनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रण के सम्बन्ध में शुद्धि पत्र/अन्तिम तिथि बढ़ाऐ जाने के सम्बन्ध में सूचना।

विज्ञापन संख्या 01/Rectt/2015–16 में सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (ईएण्डएम)/(सिविल) एवं अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (ईएण्डएम)/(सिविल) के पदों हेतु आनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रण के सम्बन्ध में विज्ञप्ति दिनांक 24/25–06–2015 को प्रकाशित की गई थी। उक्त विज्ञप्ति में निम्न आशिंक संशोधन किये जाते हैं।

1. उक्त विज्ञप्ति में व्यासी के स्थान पर लखवाड़–व्यासी परियोजनायें एवं इन परियोजनाओं के लिए सम्मिलित पदों हेतु निम्नवत् पढ़ा जाए।

2. उक्त विज्ञप्ति में लखवाड़–व्यासी परियोजनायें हेतु अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (ई0एण्डएम0) के 23 पद एवं अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)(जानपद) के 56 पदों को सम्मिलित किया गया है। इन पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में लखवाड़ व्यासी परियोजना भूमिप्रभावितों को उत्तराखण्ड शासन अधिसूचना संख्या 1229/ I(2)/2013/05– 104/2005 टीसी, दिनांक 28–06–2013 सपठित उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 42/I/2014–05/104/2005 दिनांक 22–12–2014 के द्वारा जारी ''जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना नीति–2013 के अनुसार तथा इस सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले शासनादेश/दिशा–निर्देशों के अनुसार वरीयता दी जायेगी।

3. ''लखवाड़–व्यासी'' परियोजना हेतु अवर अभियन्ता के सम्मिलित पदों पर भूमि प्रभावित परिवारों को रोजगार के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक योग्यता, आयु सीमा तथा अर्ह परीक्षा में पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन में वर्णित अंकों के साथ उत्तीर्ण करना आवश्यक है, तभी वे पदों हेतु पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों का परिवार की गणना के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना 1229/I(2)/2013/05–104/ 2005 टीसी दिनांक 28–06–2013 सपठित उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 42/I/2014–05/104/2005 दिनांक 22–12–2014 के द्वारा जारी ''जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जारी पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना नीति, 2013 के अनुसार प्रमाण पत्र आवश्यक है। जिसकी प्रति आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। यदि किन्हीं कारणों से ऐसे अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें सामान्य श्रेणी में मानते हुए परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा तथा इस श्रेणी का लाभ उन्हें तभी अनुमन्य किया जायेगा जब उनके द्वारा उपरोक्त वांछित परियोजना प्रभावित का प्रमाण पत्र लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित करने से पूर्व प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
   उपरोक्त श्रेणी के जो अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन कर चुकें है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को उपरोक्तानुसार वाछिंत प्रमाण–पत्र, आवेदन पत्र की हार्ड कापी की प्रतिलिपि के साथ निम्न पते पर प्रेषित करना होगा।
4. उक्त विज्ञापन संख्या 01/Rectt/2015–16 दिनांक 24/25–06–2015 के सापेक्ष आनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 17–08–2015 एवं आवेदन पत्र की हार्ड कापी प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 27–08–2015 तक विस्तारित की जाती है।

5. विज्ञापन संख्या 01/Rectt/2015–16 दिनांक 24/25–06–2015 में उल्लेखित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

इच्छुक अर्ह अभ्यर्थी **www.ujvnl.com** में **HR/Recruitment** शीर्षक के अन्तर्गत पूर्व में प्रकाशित विस्तृत विज्ञापन में उल्लेखित निर्देशों के अनुसार दिनांक **17–08–2015** तक ऑन लाईन आवेदन करें तथा वांछित प्रमाण–पत्र, परीक्षा शुल्क संलग्न कर आवेदन पत्र की हार्ड कापी स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से **दिनांक 27–08–2015** तक निम्न पते पर प्रेषित करें:–

संयोजक (परीक्षा एवं चयन)
जी0बी0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, लेम्बर्ट स्कावयर गेस्ट हाऊस,
पन्तनगर, ऊधमसिंह नगर– 263145.

महाप्रबन्धक (का0 एवं औ0 सं0)